सांसद आदर्श ग्राम योजना

उद्देश्य

सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना विकास करने के साथ गांव की जनता के मन में कतिपय नैतिक भावनाऐं उत्पन्न करना है ताकि वे अन्य लोगों के लिए आदर्श बन सके। इसमें मुख्यतः लोगों की विकास में भागीदारी, अंत्योदय सिद्वान्त का अनुसरण, महिला पुरूष समानता, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, श्रम की गरिमा और सामुदायिक सेवा एवं स्वैच्छिक सेवा की भावना को बढ़ावा देना, साफ–सफाई की आदत को बढ़ावा देना, प्रकृति की सुरक्षा करते हुए विकास और पर्यावरण में संतुलन सुनिश्चित करना, स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखना और प्रोत्साहन देना, पारस्परिक सहयोग, स्व–सहायता और आत्म विश्वास की भावना उत्पन्न करना, ग्रामीण समुदाय में शांति और सौहार्द को बनाए रखना, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, जवाब देही और ईमानदारी बढ़ाना, स्थानीय स्व–शासन को सहायता, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों में उल्लिखित नैतिक मूल्यों का अनुपालन करना है।

विगत के अनुभव दर्शाते है कि निम्न क्षेत्रों में कार्य में चुनौतियां रही है। आमतौर पर जो कठिनाईयां यथा विकास का साझा विजन तैयार करने में असमर्थता, विकास से जुड़ी सहायता और समुदाय की यथार्थ जरूरतों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं, सीमान्त और वृहदों की भागीदारी की कमी, सामाजिक पहलु और निरन्तर परिणामों को देखे बिना अवसंरचना और खर्च पर विशेष ध्यान, सरकारी अनुदानों पर भरोसा, विभिन्न योजनाओं के घटकों में आपसी तालमेर का अभाव, साधनों के गलत बटवारे से अलगाव को बढ़ावा, राजनैतिक द्वेषभावना से लिये गये गये निर्णय, समुदाय के विभिन्न वर्गों की सामाजिक– आर्थिक मान्यताओं की अनदेखी, विकास के सभी केन्द्रों की मौजूदगी और उनके बीच तालमेल का अभाव पर्यावरण की अनदेखी, सामाजिक बुराईयों (मद्यपान, दहेजप्रथा, जातिवाद, सांप्रदायिकता, महिलाओं की भेदभाव) की व्याप्तता।

दृष्टिकोण

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण से एसएजीवाई का मार्गदर्शन किया जाएगा –

1. मॉडल ग्राम पंचायत तैयार करने के संसद सदस्यों में नेतृत्व क्षमता, प्रतिबद्धता और कार्यकौशल के स्तर को बढ़ाना,
2. स्थानीय स्तर पर भागीदारीपूर्ण विकास के लिए समुदाय को एकजुट करना और उनसे काम लेना
3. विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और प्राइवेट एवं स्वैच्छिक अभिनव पहलों में तालमेल बिठाना ताकि जनता की आकांक्षाओं और स्थानीय क्षमता के अनुसार व्यापक विकास के उद्देश्य का पूरा किया जा सके।
4. स्वैच्छिक संगठनों, सहकारी और शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थाओं के साथ साझेदारी बढ़ाना,
5. परिणामों और स्थायित्व पर विशेष ध्यान

सांसद आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से मुख्यतः 4 वर्गों को बढ़ावा देकर गांवों का समग्र विकास किया जायेगा। वे निम्न है :–

1.	वैयक्तिक विकास	1.	व्यक्तिगत नैतिक मूल्य
		2.	साफ–सफाई
		3.	सांस्कृतिक विरासत
		4.	व्यवहार में परिवर्तन
2.	मानव विकास	1.	शिक्षा
		2.	स्वास्थ्य
		3.	पौषण
		4.	सामाजिक सुरक्षा
3.	आर्थिक विकास	1.	आजीविकाएं
		2.	कौशल
		3.	वित्तीय समावेषण
		4.	बुनियादी सुविधाऐं/सेवाएं
4.	सामाजिक विकास	1.	स्वयंसेवा
		2.	सामाजिक मूल्य/नैतिकता
		3.	सामाजिक न्याय
		4.	सुशासन

कार्यकलाप

आदर्श ग्राम में लोगों की क्षमताओं और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रत्येक ग्राम का विजन तैयार किया जायेगा जिसमें माननीय सांसद, ग्राम सरपंच, सिविल सोसाईटी और सरकारी तंत्र की पर्याप्त मदद ली जायेगी। आदर्श ग्राम के मुख्य घटक निम्न होंगे :–

1.	वैयक्तिक विकास	1.	व्यक्तिगत नैतिक मूल्य
		2.	साफ–सफाई
		3.	सांस्कृतिक विरासत
		4.	व्यवहार में परिवर्तन
2.	मानव विकास	1.	शिक्षा
		2.	स्वास्थ्य
		3.	पौषण
		4.	सामाजिक सुरक्षा
3.	आर्थिक विकास	1.	आजीविकाएं
		2.	कौशल
		3.	वित्तीय समावेषण
		4.	बुनियादी सुविधाऐं/सेवाएं
4.	सामाजिक विकास	1.	स्वयंसेवा
		2.	सामाजिक मूल्य/नैतिकता
		3.	सामाजिक न्याय
		4.	सुशासन
5.	पर्यावरण विकास		
6.	बुनियादी सुविधाऐं और सेवाऐं		
7.	सामाजिक सुरक्षा		
8.	सुशासन		

योजना का क्रियान्वयन

आदर्श ग्राम का चयन माननीय सांसद द्वारा किया जायेगा। चयन करते समय वे अपने व अपने दम्पत्ति के गांव का चयन नहीं कर सकेंगे। मैदानी क्षेत्रों में गांव की आबादी 3 से 5 हजार के मध्य व पर्वतीय, जनजाति व दुर्गम क्षेत्रों में 1 से 3 हजार के होनी चाहिये। यदि ऐसे गांव नहीं है तो लगभग ..... आबादी वाले गांवों का चयन भी किया जा सकेगा।

प्रत्येक माननीय सांसद द्वारा मार्च, 2016 तक एक ग्राम तथा मार्च, 2019 तक 2 ग्रामों का विकास किया जायेगा। तत्पश्चात ऐसे 5 आदर्श ग्रामों (प्रतिवर्ष एक) का चयन किया जाएगा और 2014 तक इनका विकास कर दिया जाएगा।

आयोजना

प्रत्येक आदर्श ग्राम के लिये एक ग्रामीण विकास योजना तैयार की जायेगी जिसमें प्रत्येक गरीब परिवार की गरीबी से उबारने में मदद करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। योजना की तैयारी से पूर्व व्यवस्थित माहौल तैयार करने और सामाजिक जागरूकता की व्यवस्था की जाएगी, जिसकी अनुवाई माननीय सांसद खुद करेंगे। इस कार्य में जिसमें ग्राम सभा, महिला सभाी, बाल सभा, व्यावसायिक समूहों और स्थानीय संगठनों, सांस्कृतिक और खेलकूद समारोहों का आयोजन, दीवारों पर लिखवाई, शिविर, पदयात्रा, नुक्कड नाटक तथा गांव को आदर्श ग्राम कैसे बनाया जाए, इस विषय में चित्रकारी और साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन की पूरी भागीदारी होगी।

योजना को लागू करने की समय सीमा

कार्य की मद	कार्य शुरू होने की तारीख से समय–सीमा
आदर्श ग्राम का चयन	एक माह
योजना के विषय में जागरूकता बढ़ाना	दो माह
माहौल तैयार करना और सामाजिक एकजुटता	तीन माह
प्रथम चरण के कार्यकलापों का आरंभ	तीन माह
प्रथम चरण के कार्यकलापों की समीक्षा	पांच माह
वीडीपी की तैयारी का समापन	सात माह
अनुमोदन और स्वीकृतियां	आठ माह
कार्यकलापों का आरम्भ	नौ माह
ग्राम सभा और जिला स्तर पर वीडीपी की प्रगति की समीक्षा	एक वर्ष

भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

योजना में माननीय सांसद, भारत सरकार, राज्य सरकार व जिला स्तर पर स्पष्ट जिम्मेदारी निर्धारित की गई है।

प्रौद्योगिकी और नए उपायों का प्रयोग

योजना को लागू करने में प्रौद्योगिकी को अपनाना और उसका अनुकूलन करना तथा नए उपाय शुरू करना जरूरी होगा जिसमें स्पेस एप्लिकेशन और रिमोट सेंसिंग, मोबाइल आधारित प्रौद्योगिकियां, कृषि सम्बन्धी प्रौद्योगिकियां और नए उपाय, आजीविका संबंधी प्रौद्योगिकियां और नए उपाय, उपयुक्त भवन निर्माण प्रौद्योगिकियां, सड़क निर्माण प्रौद्योगिकियां, जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी प्रौद्योगिकियां मुख्य है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय आदर्श ग्रामों के लिए संगत प्रौद्योगिकियों और नए उपायों का संग्रह तैयार करेगा तथा उनका प्रचार–प्रसार करेगा।

निजी स्वयं सेवी, सरकारी संस्थाओं का आयोजना, निगरानी, तकनिकी सहायता उपलब्ध कराने में स्थानीय प्रौद्योगिकी का उपयोग करना तथा स्थानीय आर्थिक विकास के लिये विभिन्न कार्यों में किया जा सकेगा।

आदर्श ग्राम निर्माण के बाद – आउटकम्स्

1. आजीविकाओं/रोजगार के अवसरों में वृद्धि
2. पलायन में कमी
3. बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम और मैला ढ़ोने से मुक्ति
4. मृत्यु और जम्न के शत प्रतिशत मामलों का पंजीकरण
5. समुदाय के सभी वर्गों के लिए स्वीकार्य वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का विकास
6. शांति और सौहार्द
7. अन्य ग्राम पंचायतों पर आदर्श ग्रामों के प्रदर्शन का प्रभाव

निगरानी

योजना को लागू करने के लिये निगरानी की व्यवस्था की जायेगी जिसमें वेब आधारित निगरानी प्रणाली लागू की जायेगी। प्रत्येक विकास योजना में निर्धारित लक्ष्यों की वास्तविक प्राप्ति की त्रेमासिक समीक्षा की जायेगी तथा 12वीं योजना के प्रमुख निगरानी योग्य संकेतकों का उपयुक्त रूप से उपयोग किया जाएगा।

मूल्यांकन

आदर्श ग्रामों का मूल्यांकन कर निम्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाने का प्रस्ताव है :–

1. सर्वोत्तम कार्य
2. सर्वोत्तम प्रभारी अधिकारी
3. सर्वोत्तम जिला कलेक्टर
4. सर्वोत्तम आदर्श ग्राम

आदर्श ग्राम में मुख्यतः निम्न योजनाओं को शामिल किया जायेगा :–

1. **व्यक्तिगत विकास –**
   - (1) स्वस्थतापूर्ण व्यवहार और आदतें
     1. एनएचएम
     2. आईसीडीएस
     3. स्वच्छ भारत मिशन
   - (2) नियमित शारीरिक व्यायाम की आदतों को अपनाना
     1. एमपीएलएडीएस
     2. नेहरू युवक केन्द्र संगठन
     3. एमजी नरेगा
     4. राज्य सरकार खेलकूद योजनाऐं
   - (3) शराब, धूम्रपान, गाली–गलौज की आदत कम करना
     1. एनएचएम
     2. एमपीएलएडीएस(हार्डवेयर के लिए, जैसा भी लागू हों)
     3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की योजनाऐं

2. मानव विकास

(1) स्वास्थ्य एवं पोषण
   1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
   2. पोषण के लिए सबंला और सक्षम योजनाओं सहित आईसीडीएस

(2) सभी के लिए शिक्षा
   1. सर्व शिक्षा अभियान
   2. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
   3. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
   4. राष्ट्रीय बाल श्रमि परियोजना
   5. एमपीएलएडीएस

3. सामाजिक विकास

(1) सामाजिक विकास
   1. भारत निर्माण स्वयसेवक
   2. युवा क्लब योजनाऐं
   3. एमपीएलएडीएस
   4. उपयुक्त योजनाओं का आईईसी घटक

(2) स्वच्छ गांव
   1. मनरेगा
   2. स्वच्छ भारत अभियान
   3. एमपीएलएडीएस

4. आर्थिक विकास

(1) पशुपालन और बागवानी सहित विविध कृषि संबंधी आजीविकाओं को बढ़ावा देना, जिसके माध्यम है –
   1. कृषि मंत्रालय की योजनाऐं
   2. एनआरएलएम के अंतर्गत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना
   3. मनरेगा

(2) ग्रामीण औद्योगिकीकरण
   1. कृषि मंत्रालय विशेष रूप से डेयरी एवं पशुपालन की योजनाएं। एनडीजीबी और नाबार्ड से सहायता
   2. मनरेगा
   3. खाद्य प्रसंस्करण विभाग और डेयरी एवं पशुपालन विभाग की योजनाएं
   4. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपकरण मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय की योजनाएं

(3) सभी पात्र युवाओं का कौशल विकास
   1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
   2. आजीविका कौशल
   3. आरएसईटीआई
   4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय की योजनाएं

(4) महिला स्व–सहायता समूहों का गठन और वित्तीय समावेशन
   1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
   2. प्रधानमंत्री जन धन योजना

(5) मनरेगा के तहत रोजगार
   1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

5. पर्यावरण विकास

(1) सड़क के किनारे वृक्षारोपण, वासभूमि, विद्यालयों एवं सार्वजनिक संस्थानों में वृक्षारोपण तथा समाज वानिकी

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
2. राष्ट्रीय बागवानी मिशन
3. पर्यावरण, वन एवं जल–वायु परिवर्तन मंत्रालय की योजनाएं (जैसा कि सीएएमपीए)

(2) वाटरशेड प्रबंधन विशेष रूप से पारंपरिक जल निकायों का पुनरूद्धार

1. आईडब्ल्यूयूएमपी एवं मनरेगा

(3) हवा, पानी और भूमि के स्थानीय प्रदूषण को कम करना

1. मनरेगा के साथ–साथ एमएनआरई की योजनाएं
2. कृषि मंत्रालय की योजनाएं

(4) वर्षा जल संचयनः छत पर से या अन्य स्थानों पर जल संचयन

1. एनआरडीडब्ल्यूपी (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम)
2. मनरेगा

6. बुनियादी सुविधाएं

(1) सभी भूमिहीन गरीबों/बच्चे मकानों में रहने वाले गरीबों के लिए पक्के मकान

1. इंदिरा आवास योजना

(2) पेयजल, विशेषकर घरों को नल का शुद्ध पानी को प्राथमिकता देना

1. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

(3) कवर किए गए नालों सहित आंतरिक बारहमासी सड़कें और मुख्य नेटवर्क से बारहमासी सड़क संपर्कता

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
2. मनरेगा
3. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

(4) उर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों विशेष रूप से सौर उर्जा सहित सभी घरों तक बिजली कनेक्शन

1. राजीव गांधी ग्रामीण विधुतीरकण योजना
2. एमएनआरई योजनाएं

(5) सार्वजनिक संस्थानों जैसे – आंगनबाडी, विद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थानों, ग्राम पंचायत कार्यालय, पुस्तकालयों के लिए पक्की अवसंरचना

1. मनरेगा
2. पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि
3. आरजीपीएसए
4. सर्व शिक्षा अभियान
5. आईसीडीएस

(6) सामुदायिक हॉल, एसएचजी संघों के लिए भवन, खेल के मैदान, पीडीएस हाउटलेटस और कब्रगाह/शमशान घाट सहित जन सुविधाएं/अवसंरचना

1. मनरेगा
2. पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि
3. सर्व शिक्षा अभियान
4. एमपीएलएडीएस
5. राजीव गांधी खेल अभियान

(7) ग्रामीण बाजार
   1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
   2. मनरेगा

(8) माईक्रो मिनि बैंक/डाकघर/एटीएम और यूआईडीएआई कार्ड का प्रावधान
   1. वित्तीय सेवा विभाग की प्रधानमंत्री जन धन योजना और अन्य योजनाऐं
   2. बीआरजीएफ
   3. वित्त आयोग अनुदान

(9) ब्राड बैंड, टेलीकॉम कनक्टिविटी और सामान्य सेवा केन्द्र
   1. डीईआईटीवाई की सीएससी योजना
   2. नेशनल ऑप्टिकल फाईबर नेटवर्क (एनओएफएस)
   3. दूरसंचार विभाग की योजनाएं

7. सामाजिक सुरक्षा

(1) सभी पात्र परिवारों–वृद्ध, विकलांग, विधवा के लिए पेंशन
   1. आई जीएनओएपीएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस, आईजीएनडीपीएस
   2. अन्य राज्य सामाजिक पेंशन योजना

(2) बीमा योजना
   1. आम आदमी बीमा योजना
   2. आरएसबीआई/राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना
   3. पीएमजेडीवाई

(3) पीडीएस सभी पात्र परिवारों तक पहुंचना
   1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
   2. राज्य पीडीएस योजनाएं

8. सुशासन

(1) ग्राम पंचायत को सुदृढ़ करना
   1. बीआरजीएफ
   2. आरजीपीएसए
   3. मनरेगा

(2) सामाजिक लेखा परीक्षा
   1. सभी योजनाएं

(3) स्वतः प्रकटीकरण
   1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(4) समय से शिकायतों का निपटान करना
   1. सभी योजनाएं

(5) विभाग के नागरिक चार्टर के अनुरूप समयबद्ध सेवा प्रदायगी
   1. आरजीपीएसए
   2. मनरेगा
   3. एमपीएलएडीएस
   4. बीआरजीएफ

(6) ग्राम सभा, महिला सभा और बाल सभा आयोजन
   1. राज्य का पंचायती राज अधिनियम

————